लिव–इन रिलेशनशिप : एक समाजशास्त्रीय अध्ययन

सुनीता पाण्डेय* एवम् प्रोफेसर योगेंद्र प्रसाद त्रिपाठी
अध्यक्ष– समाजशास्त्र विभाग
का. सु. साकेत स्नातकोत्तर महाविद्यालय अयोध्या

पूरे विश्व में भारतीय समाज ही एक ऐसा समाज है जिसने कभी किसी के ऊपर आक्रमण नहीं किया लेकिन हमेशा विदेशी आक्रमणों को झेला है। भारत पर ब्रिटिश साम्राज्य के आक्रमण ने तो भारतीय मूल्यों में आमूलचूल परिवर्तन करने की नाकाम कोशिश की। ब्रिटिश साम्राज्य का भारतीय समाज पर न केवल राजनीतिक और प्रशासनिक प्रभुत्व वर्षों तक बना रहा बल्कि सामाजिक प्रभुत्व भी बना रहा जिसे हम समाजशास्त्रीय भाषा में पाश्चात्यीकरण कहते हैं। ब्रिटिश काल में भारतीय संस्कारों और संस्कृतियों पर पाश्चात्य प्रभाव धीरे धीरे आच्छादित होता रहा किन्तु वर्तमान के वैश्विक सहभागिता और तकनीकी क्रांति ने तो हर देश के सामाजिक जीवन की चूलें हिला दीं हैं। भारतीय समाज बहुत तेजी से बदल रहा है और एक संक्रमण काल से गुजर रहा है किन्तु दुर्भाग्य यह है कि हम न तो पाश्चात्य रह गए हैं और न ही भारतीय बल्कि एक वर्णसंकर संस्कृति में जी रहे हैं। लिव–इन रिलेशनशिप भी इसी वर्णसंकर संस्कृति की देन है।

लिव–इन रिलेशनशिप की उत्पत्ति ब्रिटेन के कॉमन लॉ मैरिज से हुई है। प्राचीन ग्रीस एवं रोम तथा मध्यकालीन यूरोप में यह प्रथा थी कि यदि बिना किसी औपचारिक कार्यक्रम के जब पुरुष–स्त्री कुछ लम्बी अवधि तक जब सहवास करते थे तो उन्हें पति पत्नी मान लिया जाता था और इसमें कोई सामाजिक अपमान की बात समाहित नहीं थी। इसे कॉमन लॉ मैरिज ,नॉन सेरेमोनियल मैरिज या इनफॉर्मल मैरिज भी कहा जाता है। इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका में कॉमन लॉ मैरिज को " In a common law marriage the parties simply consider themselves married- In England it was valid until 1753- In United States by the second half of the 20th century common law marriages were valid in about one third of the states. "यूरोप अमेरिका एवं अन्य देशों में लिव–इन रिलेशन का प्रचलित नाम कोहैबिटेशन (cohabitation) है। जब दो अविवाहित व्यक्तियों के बीच कोहैबिटेशन या यौन सम्बन्ध एक लम्बे समय तक चलता है तो उसे ही लिव–इन रिलेसन कहा जाता है,अर्थात इसका मूल आधार केवल यौन सम्बन्ध है। भारत में जब दो पुरुष–स्त्री अविवाहित रहते हुए शारीरिक संबंध बनाते हुए एक साथ रहते है तो इसे लिव–इन रिलेशन के नाम से जाना जाता है किन्तु यूरोप और अमेरिका की तरह भारत में इस तरह का कोई प्राचीन इतिहास नहीं रहा है। यह संस्कृति पूर्णतः आयातित है।

लिव–इन रिलेशनशिप में पुरुष और स्त्री दोनों ही पूर्णतः स्वतंत्र और सारे बंधनों से मुक्त रहते हुए जीवन के हर सुख को भोगना चाहते हैं । इसमें वैवाहिक व शारीरिक सुख भी शामिल है जिसे वह दांपत्य बंधन से परे रहते हुए ही भोगना चाहते हैं। यह प्रवृत्ति, प्राचीन आदिम प्रवृत्ति है जब वैवाहिक संस्था अस्तित्व में नहीं थी । पाश्चात्य यौन नैतिकता में शारीरिक सम्बन्ध मात्र एक जैविकीय कार्य है जबकि विवाह एक सामाजिक एवं कानूनी दायित्व स्वीकार करने की प्रक्रिया है, इस प्रकार पाश्चात्य संस्कृति में विवाह और शारीरिक संपर्क दोनों ही पृथक पृथक धारणाएं हैं । यह धारणा आदिम प्रवृत्तियों के निकट है। लिव–इन रिलेशनशिप की सामाजिक प्रतिष्ठा तो समाज से ही प्राप्त करनी होगी और इसके लिए समाज से संघर्ष भी करना पड़ेगा । ऐसे संबंध प्राचीन काल से भारतीय समाज में पाए जाते रहे हैं किंतु इसे स्वीकार कभी नहीं किया गया। मनुस्मृति में ब्राह्म विवाह को ही सर्वोत्तम माना गया है।

आधुनिक युग के भारत मे इसका प्रारंभ फिल्मी दुनिया से है जहां यौन मूल्यों से अधिक मूल्यवान कैरियर होता है जिसका मूलाधार शारिरिक आकर्षण बनाए रखना है जिसमे सबसे बड़ी बाधा विवाह संस्था है । फिल्मी दुनिया के लिए तो यह रामबाण साबित हुआ है क्योंकि यही एक तरीका है जिसमें वे यौन क्षुधा की तुष्टि भी कर सकते है और देहयष्टि को भी सुगठित एवं सुरक्षित रख सकते है, इसीलिए इसकी स्वीकार्यता फिल्मी दुनियां में तुरंत ही सर्वव्यापी हो गयी। जो व्यक्ति ऐसे संबंधों में रह रहे हैं वे ऐसे स्वार्थी व्यक्ति हैं जो न केवल अपने जीवन व शरीर के प्रति ही स्वार्थ रखते हैं बल्कि होने वाले अगली पीढ़ी के प्रति भी स्वार्थ की भावना रखते हैं । उन्हें अपना शारीरिक व आर्थिक स्वार्थ अधिक महत्वपूर्ण दिखाई देता है, वो शरीर को अपनी आत्मा से पृथक रख कर उसका दोहन करते रहते है। उन्हें इस बात की कत्तई चिंता नहीं होती कि उनके संतानों का समाज में क्या स्थान होगा। इसकी स्वीकार्यता अभी भारतीय समाज में नहीं है और जो इसे स्वीकार कर रहे है वह इसका परिणाम भी भोग रहे है। सुशांत की आत्महत्या और श्रद्धा की हत्या इसका प्रमुख उदाहरण है। लिव–इन रिलेशन का रिश्ता एक ऐसे खतरनाक सड़क से होकर गुजरता है जहां ष्रास्ता आगे खराब है,आगे जाना सुरक्षित नहीं हैष् का बोर्ड लगा है, फिर भी इस रिश्ते में जीने वाला उस पर आगे जाता है और गड्ढे में गिर कर जान को खतरे में डालता है।

18 वर्ष के हो जाने पर कानूनी वयस्कता तो आ जाती है किन्तु समाजिक अवयस्कता बनी रहती है और इसी अवयस्कता के कारण माता–पिता या संरक्षक उसे पढ़ाने , योग्य बनाने के और विवाह करने तक दायित्वों का निर्वहन करते रहते हैं। वयस्क होने पर स्वतंत्र निर्णय लेना कोई वैधानिक बाध्यता नहीं है और इसी तरह पेरेंट्स के लिए भी वैधानिक बाध्यता नहीं है कि वह कहे कि जो वयस्क हो गए उनके प्रति अब उनकी कोई दायित्व नहीं है। ये तो केवल एक ऐच्छिक विकल्प है कि यदि कोई चाहे तो स्वतंत्र निर्णय ले सकता है जो प्रायः प्रेम सम्बन्धों में हुआ करता है किन्तु किसी से केवल अवैध सम्बन्ध बनाने और बनाते रहने के लिए वयस्कता कानून का सहारा लेना सरासर वयस्कता कानून का दुरुपयोग है। भारत में अभी तक लिव–इन रिलेसन का कोई कानून नहीं है। माननीय न्यायालयों ने संविधान के अनुच्छेद 21 एवं मूल अधिकारों के आधार पर किसी वयस्क को अपनी स्वतंत्र सहमति से किसी के साथ रहने के अधिकार को मान्यता दी है किन्तु निर्णय तो सम्बंधित व्यक्ति को करना है कि उसके हित में क्या है।आफताब और श्रद्धा का परिणाम सामने है। लिव–इन रिलेशनशिप या अविवाहित–दामपत्य मे जीने वाले न घर के होते हैं न घाट के। दोनों ही पक्ष पारिवारिक संरक्षकत्व से विद्रोह कर रेगिस्तान मे अकेले खड़ा होता है जिन्हें लू के थपेड़े अकेले ही झेलने पड़ते है किंतु जब अविवाहित दम्पत्ति के बीच ही क्लेश उत्पन्न हो जाय तो स्थिति बहुत ही भयावह बन जाती है जैसा कि आफताब और श्रद्धा का हश्र हुआ है। यह स्थिति बंदरगाह मे ही तुफान आने जैसी हो जाती है। विकृत आधुनिकता का अन्धानुकरण हमे किस नरक में ले जा रहा है इसका इससे वीभत्स उदाहरण दुर्लभ है।

जैसा कि मैंने पहले ही कहा है कि हम एक वर्णसंकर संस्कृति में जी रहे हैं , हम न तो भारतीय रह गए हैं और न ही अंग्रेज बन पाए हैं। हमें अगर पाश्चात्य संस्कृति का अनुकरण करना ही है तो हमें उस तरह की मानसिकता पैदा करनी होगी। वो तो डेटिंग करते हैं , फिर कोहैबिटेशनध लिव–इन रिलेशन में रहते है। इंग्लैंड और अमेरिका में पहले से ही दोनों पक्ष कोहैबिटेशन एग्रीमेंट बना कर हस्ताक्षर करते है जिसमे वो शर्तें भी होती है कि अगर सम्बन्ध टूट गया तो संपत्ति, बैंक के दायित्व, वंशज पालन पोषण या हर तरह के अधिकार एवं दायित्वों का निपटारा कैसे होगा और बिना किसी मारपीट या मुकदमेबाजी के वो सम्बन्ध विच्छेद भी कर लेते है । ये नहीं कि मारपीट हो , मुकदमेबाजी हो , 5–5 साल लिव–इन रिलेशन में रहने के बाद एफ. आई. आर. लिखाया जाए की मुझे बहला फुसलाकर मेरे साथ 5 साल तक बलात्कार करता रहा मेरी बदनामी हो रही है आदि आदि।

भारत में लगभग 95 प्रतिशत यौन हिंसा परिचितों के द्वारा ही की जाती है। जब तक साथ रहते है तो हम अंग्रेज रहते है जब साथ टूटता है तो हम भारतीय बन जाते है। इंग्लैंड में तो सिविल पार्टनरशिप एक्ट बनाया गया है जिससे कुछ हद तक इस तरह के प्रकरण देखें जातें हैं।

सामाजिक परिवर्तन एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है और.समाज ही नियम बनाता है और समाज ही उसे परिवर्तित करता है किंतु स्वीकार्यता मिलने मे कई पीढ़ियां लग जाती है। सम्भव है इसे भी स्वीकार्यता मिल जाय । भारत एक जनतांत्रिक देश है जिसमे इस तरह के सम्बंध संविधान के मूल अधिकारों से आच्छादित है किन्तु केवल आच्छादित होना पर्याप्त नहीं है, भारत मे तत्काल एक ऐसे कानून की जरूरत है जिससे लिव–इन रिलेसन को सर्वांगीण रुप मे रेगुलेट किया जा सके अन्यथा ऐसे आफताब पैदा होते रहेंगें और नृसंस हत्याएं करते रहेंगे। वे महिलाएं जो इस तरह के सम्बन्धों को जीना चाहती हैं उन्हें भी सुरक्षा प्राप्त होगी और उन्हें उत्पीड़न से भी मुक्ति मिलेगी। या फिर इस तरह के संबंधों पर एक कानून बनाकर तुरंत कड़ाई से रोक लगाई जाए क्योंकि भारतीय सांस्कृतिक विरासत से यह कहीं भी मेल नहीं खाता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1– लिव इन रिलेशनशिप सोशियो– लीगल पर्सपेक्टिव, 23ALJ (2015–16)

2– Live & in Relationship, impact on marriage and family institution (2012)

3– Holt & Lunstad, T-B-Smith & Social relationship and morality risk: A meta analytic review

4– A. Anand, the complete guide to live in a relationship in India (2014)

5– I Sharma, B Pandit, A Pathak, Hinduism marriage and metal illness (2013)

6– www.bbc.com– लिव इन रिलेशनशिप कब कानून की नजर में सही है? 29 अक्टूबर 2021

7– अमर उजाला समाचार पत्र–लिव इन रिलेशनशिप, जरूरी है सावधानी 22 फरवरी 2013

8– जनसत्ता समाचार पत्र– क्या होता है लिव इन रिलेशनशिप, भारत में इसे लेकर क्या है कानून? 18 नवंबर 2022

●